

1/22

पत्रावली काउ प्रेश डूठे। दोने पको के वकील उपस्थित। प्र: व हस सुनी गरी। प्रकाशनी वास्ते कोदेश दिर्क. 15/07/22 के प्रेश डी

पनी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

15/7/22

~~पत्रावली काउ प्रेश डूठे। दोने पको के वकील उपस्थित। प्रकाशनी वास्ते कोदेश प्रेश डूठे। कोदेश मल्ल के लिक्का जोगा खुले न्यायालय खुल्ला गला प्रकाशनी निवेद खुला होकर दखिल दफत हो।~~

पनी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 144 / 2020

प्रार्थी

1. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश  
जाति माहेश्वरी निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मांगा पुत्र रावता
2. मफा पुत्र रावता
3. सांवला पुत्र रावता
4. पूरों पत्नी रावता
5. प्रतापा पुत्र अचला फौत के कायम मुकाम:-  
5/1 भीमाराम पुत्र प्रतापा  
5/2 मलाराम पुत्र प्रतापा  
5/3 रुखमोदेवी पत्नी प्रतापा  
जाति प्रजापत (कुंभार) निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
6. दिनेश राठी पुत्र देवीलाल राठी  
जाति माहेश्वरी निवासी डाबली हाल निवासी सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर
7. तहसीलदार गुडामालानी, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 15/7/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि तहसील गुडामालानी पटवार मण्डल बेरीगांव के राजस्व ग्राम बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 147/3 रकबा 2-00 बीघा किस्म बारानी सोयम की आई हुई है, प्रार्थी ने ग्राम बेरीगांव के खसरा नम्बर 147 रकबा 47-12 बीघा भूमि में से 2-00 बीघा दिनांक 30.06.1994 को दस्तावेज संख्या 348/1994 के जरिये विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता व पति रावत व विप्रार्थी संख्या 5 से कय की थी, वक्त रजिस्ट्री से ही कयसुदा भूमि रकबा 2-00 बीघा पर बेचानकर्ताओंने प्रार्थी का कब्जा करवा दिया था तभी से प्रार्थी काबिज होकर कय सुदा भूमि का उपयोग व उपभोग निर्बाध रूप से करता आ रहा है। इस कय सुदा भूमि का राजस्व रेकर्ड में तो 2-00 बीघा का ही अमलदरामद किया गया परन्तु नक्शा ट्रेस में भूलवंश 2-00 के स्थान पर 1-00 बीघा की

